

सोमवार

दिनांक :- 01-01-2018

शांति भंग करने के 08 आरोपी गिरफ्तार :-

सुन्दरलाल उ०नि० थाना कोतवाली स०मा० ने गुलाबन्द पुत्र हरिनारायण मीना उम्र 27 साल निवासी डेकवा थाना कोतवाली स०मा० को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार बच्चू सिंह उ०नि० थाना कोतवाली स०मा० ने श्री बुद्धप्रकाश पुत्र सुखजी मीना उम्र 28 साल निवासी आदलवाडा थाना चौथ का बरवाडा को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार सोहन सिंह उ०नि० थाना कोतवाली ने श्री लोकेश पुत्र रामफूल उम्र 21 साल जाति मीना निवासी रामसिंह पुरा थाना कोतवाली स०मा० को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार नरेन्द्र सिंह हैड कानि० 350 थाना सूरवाल ने 1.कैलाश पुत्र श्री चौथमल जाति राव उम्र 32 साल निवासी निन्दडदा थाना सूरवाल 2. राजू पुत्र श्योजीराम जाति मीना उम्र 22 साल निवासी निन्दडदा 3. हंसराज पुत्र पांचू लाल जाति मीना उम्र 32 साल निवासी निन्दडदा को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार जीतेन्द्र सिंह उ०नि० थानाधिकारी थाना वजीरपुर ने श्री बबलू पुत्र श्री सिराज जाति मुसलमान उम्र 31 साल निवासी बहतेड थाना मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार दशरथ सिंह स०उ०नि० थाना रवांजना डूंगर ने रामजीलाल पुत्र कानाराम जाति मालो उम्र 39 साल निवासी रवाजना चौड को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

शराब पीकर वाहन चलाते 14 आरोपी गिरफ्तार :-

सुन्दरलाल उ०नि० थाना कोतवाली ने श्री अंकित जैन पुत्र राजेश जैन उम्र 28 साल निवासी बर्जरया थाना कोतवाली 2. धनराज पुत्र हरिसिंह मीना उम्र 21 साल निवासी एण्डा थाना मलारना डूंगर 3. जितेन्द्र पुत्र मांगीलाल कण्डेरा निवासी राजबाग शहर स०मा० 4. शुभम पुत्र मुरारो लाल उम्र 27 साल निवासी भगवतगढ थाना चौथका बरवाडा को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार बच्चू सिंह उ०नि० थाना कोतवाली ने मेघराज पुत्र रामनारायण उम्र 37 साल जाती मीना निवासी खेडलो थाना मानटाउन स०मा० 2. आकाश पुत्र ईश्वरो प्रसाद बैरवा उम्र 18 साल निवासी खेरदा थाना कोतवाली स०मा० 3. सियाराम पुत्र मोतीलाल जाट उम्र 35 साल निवासी झहरा थान बहरावंडा कला को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार सोहन सिंह उ०नि० थाना कोतवाली ने श्री अयान पुत्र इनाम मुस० उम्र 20 साल निवासी मिजा मो० शहर स०मा० को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार हरभान सिंह उ०नि० थाना कोतवाली ने श्री अक्षय पुत्र नरेश बैरवा उम्र 19 साल निवासी चन्द्रपुरा थाना कोतवाली स०मा० 2. कुन्दन पुत्र नैमीचन्द बैरवा उम्र 19 साल निवासी आदश नगर थाना मानटाउन 3. महेन्द्र सैनी पुत्र हनुमान उम्र 19 साल निवासी रामसिंह पुरा थाना कोतवाली स०मा० को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार भागीरथ सिंह उ०नि० थाना मानटाउन ने श्री जितेन्द्र पुत्र श्री मोहन लाल जाति जाट उम्र 36 साल निवासी जटवाडा खुर्द थाना मानटाउन, श्रीराम चौधरी उर्फ सीताराम पुत्र श्री रामनारायण जाति जाट उम्र 50 साल निवासी वीरपुर थाना बहरावण्डा कलां, श्री नवल किशोर पुत्र श्री ओमप्रकाश उम्र 35 साल निवासी कण्डेरा बस्ती थाना खण्डार जिला सवाई माधोपुर को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

शराब पीकर उत्पात मचाते 03 आरोपी गिरफ्तार :-

सुन्दरलाल उ०नि० थाना कोतवाली ने श्री हिमांशु ईसरानी पुत्र कन्हैयालाल सिन्धी निवासी जामा मस्जिद के पास बर्जरया स०मा० को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार भागीरथ सिंह उ०नि० थाना मानटाउन ने श्री कैलाश पुत्र श्री भैरूलाल जाति जाट उम्र 27 साल निवासी जोथडा वाला थाना सांगानेर जिला जयपुर, श्री ईश्वर सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह जाति राजपूत उम्र 27 साल निवासी चन्दलाई थाना शिवदासपुरा जिला जयपुर को शराब पीकर उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

अवैध रूप से स्मैक बेचने का आरोपी गिरफ्तार :-

जीतेन्द्र सिंह उ०नि० थानाधिकारी थाना वजीरपुर ने श्री नीतू उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र श्री कैलाश उम्र 27 साल जाति राजपूत निवासी बाढ कोठी महु कला थाना गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर को गंगापुरसिटी थाने पर दर्ज मु०नं० 871/17 धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट में गिरफ्तार किया गया।